50

न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही

रा. वाद अ. धारा 88, 188 RTAct

तोलाराम बनाम स्टेट

प्रकरण सं. 78/016

दि. 24-11-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील कृषि माथुर वादीगण की ओर से पीठासीन अधिकारी सुनवाई हाजिर नहीं है। विपक्षी पर न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी सुनवाई वकील वादीगण को हाजिर होने हेतु बार-बार आवाजें लगवाने के बावजूद भी वकील वादीगण या उनके वादीगण स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि भी न्यायालय समय में हाजिर नहीं हुये है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन यह राजस्व वाद अन्तर्गत 88, 188 RTAct का विचारित स्टेट का वादीगण व वकील वादीगण की ओर हाजरी से कदम हाजरी/कदम पैरवी में चलने योग्य नहीं होने तथा खारिज योग्य होने से विचाराधीन यह राजस्व कदम हाजरी/कदम पैरवी वादीगण व वकील वादीगण में खारीज किया जाता है। निर्णय का रेडीजल सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested